Signature ... parties or ... ders where ... ary

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

In the court of Sazid Mohammad Judicial Magistrate First Class, Narayangarh, District Mandsaur.

Case No.......989/22

Summary No...435/22

शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र नारायणगढ़
जिला मंदसौर म.प्र.। ---- अभियोगी

बनाम

कन्हैयालाल पिता मनोहरलाल
उम्र - 22 वर्ष नि. - दोरवाड़ा ----अभियुक्त

{अपराध विवरण}

आज दिनांक 12/10/22 को विरचित

मैं साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ, जिला मंदसौर (म.प्र.) आप अभियुक्त कन्हैयालाल पिता मनोहरलाल उम्र 22 वर्ष निवासी- दोरवाड़ा के विरूद्ध निम्नलिखित अपराध विवरण की विशिष्टया निर्मित कर पढकर सुनाता समझाता हू कि :-

01- आपने दिनाक 8/10/22 को समय 20:40 से 21:00 बजे के दरमियान बाग़री, भुरिया रोड, बांसखेड़ी ~~मंदसौर~~ पुलिस थाना नारायणगढ़ जिला मंदसौर क्षेत्र अतर्गत बिना किसी अनुज्ञा पत्र के अपने कब्जे में 0.5 ली ~~कच्ची~~ देशी प्लेन / मसाला शराब रखी या उक्त शराब का परिवहन किया, जो कि धारा 34(1-क) म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत दडनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में आता है।

क्या आप प्रकट करो कि अपराध स्वीकार करना चाहते हो अथवा प्रतिरक्षा करना चाहते हो।

(साजिद मोहम्मद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
नारायणगढ जिला मंदसौर (म.प्र.)

अभियुक्त का अभिवाक:-

अभियुक्त को उक्त अपराध की विशिष्टिया पढकर सुनाई व समझाई गई तो उसका अभिवाक है कि - अपराध स्वीकार है।

धाना।

(साजिद मोहम्मद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
नारायणगढ जिला मंदसौर (म.प्र.)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

In the court of Sajid Mohammad Judicial Magistrate First Class, Narayangarh, District Mandsaur.

Case No ...989/22

Summary No ...435/22

शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र नारायणगढ़ ------- अभियोगी
जिला मंदसौर म.प्र.।

बनाम

धन्नालाल पि. मनोहरलाल
उम्र - 22 वर्ष नि - दोरवाड़ा --------अभियुक्त

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 12/10/22 को घोषित)

01. स्वेच्छिक अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा 34(1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किया जाता है।

02. वर्तमान मे लोगों मे नशा करने की प्रवृत्तिया बढ रही हैं। अत प्रकरण के तथ्यों एव परिस्थितियों पर विचार उपरात अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया जाता है।

03. प्रकरण के तथ्यों एव परिस्थितियों पर विचार उपरात अभियुक्त को धारा 34(1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध किया जाकर न्यायालय उठने तक के कारावास एव 600/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा नही किये जाने की दशा मे अभियुक्त को 07 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

04. प्रकरण मे जप्तशुदा शराब विधिवत् नष्ट की जावे।

स्थान -- नारायणगढ
दिनाक - 12/10/22

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(साजिद मोहम्मद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नारायणगढ जिला मदसौर म प्र